100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

सौ रूपये ONE HUNDRED RUPEES

प्रन्यास विलेख

(ट्रस्ट डीड)

मैं भांगीरथ् पुत्र श्री रामप्रताप जाति अग्रवाल आयु 67 वर्ष निवासी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का हूं, जो कि[illegible] संभालने के पश्चात् से ही परम्परागत पारिवारिक व्यवसाय [illegible] शिक्षा से विशेष रूचि थी। शिक्षा मेरे द्वारा अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों में प्राप्त की गई है। इस कारण मुझे शिक्षा क्षेत्र से विशेष लगाव उत्पन्न हुआ है एवं शिक्षा प्रसार को मैंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया है। आयु बढ़ती जा रही है, क्षणभंगुर जीवन पर विश्वास नहीं है, न जाने कहां और कब इस नश्वर शरीर को छोड़ दूं। मैं अपने कठिन परिश्रम से उपार्जित धन एवं सम्पत्ति को राष्ट्र के लिए उत्तम नागरिक उत्पन्न करने, तैयार करने तथा राष्ट्र के नागरिकों की सेवा में लगाना चाहता हूं। इसी उद्देश्य से मैंने इस प्रन्यास विलेख को लिखने का निश्चय किया है। भगवत् प्रेरणा से मेरे द्वारा लगाया गया यह ज्ञान वृक्ष सदा फले फूलेगा और समस्त जनता बिना किसी दबाव के बिना भेदभाव के बिना किसी जातिभेद के इसके फल को प्राप्त करेगी। सदा की तरह ही मेरे मित्र व संबंधी इस पवित्र कार्य में मेरा सहयोग देते रहेंगे तथा मेरे देहान्त के उपरांत भी यह शिक्षा स्तंभ जो मैं तैयार कर रहा हूं जनता की सेवा करता रहेगा और मेरी स्मृति एवं मेरी भावना को विलीन नहीं होने देगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे द्वारा स्थापित यह प्रन्यास जनता के लिए सदैव कल्याणकारी हो। मैं इस प्रन्यास विलेख के द्वारा संस्था का गठन कर रहा हूं। व्यय की कमी पड़ने पर मैं ही इसे पूरा करूँगा और यह प्रन्यास जिस शिक्षा संस्था को स्थापित करेगी, का प्रबन्ध नियुक्त/निर्वाचित समिति द्वारा होता रहेगा। निर्वाचन साधारण सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

मैं यह आवश्यक समझता हूं कि संस्था के प्रारंभ, सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं सुसंचालन के लिए प्रन्यास विलेख लिखित किया जाये। अतः मैं अपने पवित्र उद्देश्य को पूर्ण करने एवं

[illegible]

[illegible] 100 25/11/04

[illegible handwriting]

सुरेन्द्र सिंह
स्टाम्प विक्रेता ला.न.17/01
श्रीगंगानगर (राज.)

[illegible]

अपनी भावना एवं नाम को अक्षुण रखने के लिए निम्नलिखित रूप एवं नियमों के अंतर्गत प्रन्यास की घोषणा करता हूं:–

1. इस प्रन्यास का नाम सदैव बी.आर. चौधरी चैरिटेबल (भागीरथ रेशमी देवी चौधरी चैरिटेबल) प्रन्यास होगा।

2. इस प्रन्यास के उद्देश्य निम्नलिखित है :–

   (क) प्रन्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था करना।

   (ख) प्रन्यास की सम्पत्ति से होने वाली आय का उपयोग शिक्षा प्रसार के पवित्र उद्देश्य के लिए ही बिना किसी भेदभाव, बिना जाति भेद एवं सर्व कल्याणकारी रूप से होगा।

   (ग) प्रन्यास के नीमित व्यय करना।

   (घ) भारतीय संस्कृति के आदर्श को ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यों का प्रबन्ध करना एवं सद्विषयक विभिन्न परीक्षाओं की व्यवस्था करना। यहां कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रकार के भेदभाव के अध्ययन, अध्यापन, शोधकार्य आदि कर सकेगा।

   (ङ) छात्रावास, परीक्षा केन्द्र, शिल्पशाला व प्रयोगशाला इत्यादि की स्थापना एवं व्यवस्था करना।

   (च) मानव कल्याण की अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त मंदिर, सत्संग भवन, अन्न क्षेत्र, प्याऊ धर्मशाला आदि की स्थापना, विकास एवं चालन करना।

   (छ) शिक्षा प्रसार हेतु साईटिफिक शोध करना, उसमें योगदान करना, शोध शाला स्थापित करना, शोध हेतु छात्रवृति प्रदान करना एवं इस हेतु आवश्यक सुविधाएं एवं साधन उपलब्ध कराना।

   (ज) प्रन्यास द्वारा संचालित शिक्षा संस्थान/संस्थाओं की प्रवृत्ति में वृद्धि करना, विकास करना एवं इनका संचालन करना।

   (झ) वर्तमान में चल रही हुकमचन्द अग्रवाल धर्मशाला व अन्य प्रवृत्तियों में वृद्धि करना विकास करना एवं इनका संचालन करना।

   (य) मानव कल्याण की किसी भी प्रवृत्ति का संचालन करना।

   (र) शिक्षा प्रसार हेतु शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, कम्प्यूटर सैंटर या अन्य किसी प्रकार की संस्थाओं को स्थापित करना तथा स्थापना के उपरान्त उसके लिए स्थान भवन एवं अन्य आधारभूत ढांचों की व्यवस्था करना।

   (ल) बालिकाओं की शिक्षा हेतु शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बालिका विद्यालय/महाविद्यालय/होस्टल (छात्रावास) की मान्यता लाना व स्थापित करना, स्थान भवन की व्यवस्था करना तथा अन्य समस्त आवश्यक कार्य उस हेतु करना। जो स्कूल व कॉलेज खोले जाएंगे, उनका नाम बी.आर.चौधरी कन्या महाविद्यालय/बी.आर.चौधरी महाविद्यालय होगा।

   (व) तकनीकी विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना करना तथा स्थापना के उपरान्त उसके लिए स्थान भवन एवं अन्य आधारभूत ढांचों की व्यवस्था करना।

   (स) बालक बालिकाओं के लिए वोकेशनल शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए संस्था स्थापित करना। नये–नये विषय स्थापित करना तथा इस हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही करना

3. मैं 11,000 रूपये की नगद राशि प्रन्यास को प्रदान करता हूँ। इस प्रन्यास का मुख्य कार्यलय भूखंड संख्या 21 वार्ड नं. 5, सादुलशहर में संचालित किया जाएगा। भागीरथ

संतोष

आज दिनांक 1 माह December सन् 2004 को 06:42 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BHAGIRATH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM PRATAP
उम्र 67 वर्ष, जाति AGGARWAL व्यवसाय SHOP
निवासी SD
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता　　हस्ताक्षर उप पंजीयक, SADUL SHAR
(2004004181)
(Trust Deed)

रसीद नं0 3874 दिनांक 01/12/2004
पंजीयन शुल्क रू0 150/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 100/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 0/-
कुल योग रू0 250/-

(2004004181)　　उप पंजीयक, SADUL SHAR
(Trust Deed)

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विकय पत्र
की मालियत रूपये 11000
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 0 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 150 कुल रूपये 250
जरिये रसीद संख्या 3874 दिनांक 01/12/2004
में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रूपये 60
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2004004181)　　उप पंजीयक, SADUL SHAR
(Trust Deed)

4. भविष्य में अर्जित व संचित सम्पत्ति प्रन्यास की होगी। प्रन्यास मजकूरा का इस पर पूर्ण अधिकार होगा और उसी के द्वारा इस दस्तावेज की शरायत के अनुसार रक्षित एवं प्रशासित होगी।

(क) प्रन्यास द्वारा शिक्षा प्रसार हेतु कर्मचारियों के लिए एवं शिक्षा प्रसार हेतु भवनों का निर्माण किया जावेगा। इस स्टाफ के क्वाटर एवं अन्य भवन किनको एव किस हेतु दिये जावे या उनको क्या उपयोग हो, या उनकी किराये की दर क्या हो, यह निर्णय करने का अधिकार केवल प्रन्यास में ही निहित होगा।

5. प्रन्यास मजकूरा द्वारा प्रन्यास सम्पत्ति से होने वाली आय या चन्दा, पारितोषिक दान, सरकारी सहायता, शुल्क या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त होने वाली धनराशि प्रन्यास कोष का भाग होगी। यह रकम 11000 रूपये एव अन्य प्राप्त राशि प्रन्यास द्वारा संचालित संस्थाओं एवं अन्य प्रवृत्तियों के स्थापन, संचालन एव विकास में ही लगाई जा सकेगी। दान अथवा सहायता के लिये संस्था या प्रन्यास के लिए प्राप्त किसी प्रकार की चल अथवा अचल सम्पति को स्वीकार करने का अधिकार मजकूरा को होगा, पर ऐसे दान या सपर्पण के फलस्वरूप किसी दाता को प्रन्यास के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नही होगा। प्रन्यास अपने पवित्र उद्देश्यों के लिए व्यय करने हेतु अपने अंतर्गत चलने वाली संस्थाओं के छात्रों या अभिभावकों या कर्मचारियों से चंदे की रकम या शुल्क प्राप्त कर सकता है। यह प्रन्यास फण्ड का ही भाग होगा। इस प्रकार संग्रहित राशि का व्यय किसी भी विभाग के भवन निर्माणण उपकरण जुटानें, अन्य सामान क्रय करने,उत्सव आयोजन करने, घाटा पूर्ति करने, विकास योजना क्रियान्वित करने, प्रन्यास कार्यालय या केन्द्रीय कार्यालय संचालन करने, मंदिर इत्यादि के निर्माण संचालन विकास अथवा अन्य किसी सार्वजनिक हित की प्रन्यास की प्रवृत्ति के लिए किया जा सकता है। किसी विभाग का इस कोष पर इस आधार पर अधिकार नही होगा कि उनके यहां रूप से अमुक राशि संग्रहित है। कहां कितनी राशि व्यय होगी, इसके लिए प्रन्यास का विवेक एवं निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।

6. भारतीय प्रन्यास अधिनियम 1833 की धारा 20 के अनुसार आवश्यक इन्वेस्टमैंट के अतिरिक्त प्रन्यास फण्ड मजकूरा को प्रन्यास के हित में निम्नलिखित रूप में भी इन्वेस्ट किया जा सकेगा –

(क) यूनिवर्सिटी /राज्य सरकार अथवा संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों को उल्लंघन न करते हुए धनराशि को प्रन्यास मजकूरा स्वीकृत फर्म में जमा करवाना।

(ख) अचल सम्पत्ति को खरीदना, जिसमें कि अच्छा किराया आ सके एवं प्रन्यास को आय हो सके।

(ग) अच्छी लिमिटेड कम्पनी के ऋण पत्र या शेयर खरीदना।

(घ) किसी शैड्यूल बैंक में रूपया जमा करवाना।

7. प्रन्यास मजकूरा जब कभी उचित समझे तो संस्था के हित में पूर्ण इन्वेस्टमैंट को या उसके किसी भी भाग को वापिस ले सकेगी, बेच सकेगी या तबादला कर सकेगी।

8. प्रन्यासी द्वारा बहुत से प्रन्यास के हित में प्रन्यास की चल व अचल सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकता है। किसी भी एक प्रन्यासी को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का व रजिस्टरी करवाने का अधिकार दिया जा कसता है।

हस्ताक्षर | फोटो | अंगूठा

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-BHAGIRATH/RAM PRATAP
Age:67, Caste-AGGARWAL
Ocu.-SHOP
R/O-SD

ने लेख्यपत्र Trust Deed
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री SHIV SANKAR
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री MAHAVIR PRADAD उम्र 41 वर्ष
जाति AGGARWAL व्यवसाय SHOP
निवासी SDS

2. श्री / श्रीमती / सुश्री RADHA KRISHAN
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री JAGISH PRASAD उम्र 32 वर्ष
जाति JAT व्यवसाय AGR
निवासी BAHRAM PURA BODLA ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2004004181)
(Trust Deed)

उप पंजीयक, SADUL SHAR

9. प्रन्यास की अचल सम्पत्ति किराये पर दी जा सकती है अथवा नियमान्तर्गत अधिकाधिक आय प्राप्त करने के लिए अन्य किसी रूप में प्रबन्ध किया जा सकता है। दो रजिस्टर रखे जायेंगे। एक में प्रन्यास की सम्पत्ति का विवरण होगा और दूसरे में विभिन्न प्रबन्ध समितियों की सम्पत्ति का पृथक–पृथक विवरण होगा। प्रन्यास अपनी सम्पत्ति को शैक्षणिक या अन्य गतिविधियों के लिए प्रबन्ध समिति को निःशुल्क या किराये पर दे सकता है।

10. कोई भी प्रन्यासी किसी दूसरे प्रन्यासी के अपराध एवं समुचित कार्य के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। प्रन्यासी उतने ही रुपए, स्टॉक, सिक्योरिटियाँ सम्पत्ति के लिए उत्तरदायी होंगे, जितने उन्हें सुपुर्द किये गये है या बाद में सुपुर्द अर्जित और सुचित किये जाएंगे।

11. प्रन्यास सम्पत्ति और प्रन्यासव संबंधी सभी कागज, दस्तावेज, इकरारनामे आदि अध्यक्ष के पास रहेंगे, पर ये दस्तावेज किसी ऋण के आधार पर नहीं बनाये जा सकेंगे। इन कागजो द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपयोग व्यक्तिगत हित केलिए करना निषिद्ध होगा।

12. प्रन्यास की अचल सम्पत्ति को सुरक्षित रखना, उसकी मरम्मत आदि करवाना, प्रन्यास की आय का इस लेख में लिखित उद्देश्यों हेतु व्यय करना, प्रन्यास की आय बढ़ाना और उसकी अधिकाधिक सदुपयोग करने संबंधी कर्त्तव्य को प्रन्यासीगण वहन करेंगे।

(क) बी.आर. चौधरी चैरिटेबल (भागीरथ रेशमी देवी चैरिटेबल) प्रन्यास के नाम से चलने वाली अथवा इस प्रन्यास से संबंधित या अंतर्गत कही जाने वाली सभी संस्थाओं के संचालन का उत्तरदायित्व उनके विधान के अंतर्गत बनने वाली प्रबन्ध समिति का होगा। प्रन्यास इस संबंध में किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकेगा। प्रन्यास अपनी आय में से किसी भी विभाग/विभागों को जितना उचित समझेगा, अनुदान दे सकेगा।

13. आवश्यकता अनुसार प्रन्यासियों को प्रन्यास की ओर से दावा इत्यादि करने का या दावा होने पर जवाबदेही व अन्य कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा और ऐसे दावे प्रन्यास मजकूरा के नाम से होंगे। अध्यक्ष अथवा प्रन्यास द्वारा अधिकृत प्रन्यासी को ही सब कार्यवाही करने का अधिकार होगा। बिना अधिकृत किये किसी प्रन्यासी द्वारा की गई कार्यवाही से प्रन्यास या प्रन्यासी बाध्य नही होंगें।

14. प्रन्यास का कार्यालय प्रन्यास के आय व्यय का पूरा हिसाब नियमित रूप से रखेंगे और प्रतिवर्ष इसकी जांच भी योग्य ऑडिटर से करवायेगा। जांच की रिपोर्ट प्रन्यास की मीटिंग में प्रतिवर्ष पेश की जाएगी। प्रन्यास अपनी संस्थाओं के कार्य संचालन हेतु कार्यालय की स्थापना कर सकता है जिसके द्वारा समस्त संस्थाओं के हिसाब का लेखा–जोखा एवं प्रशासन का कार्य कर सकता है। इस कार्यालय में नियुक्तियां एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य निर्धारित करने के अधिकार प्रन्यास में ही निहित होंगे।

15. बैंक आदि में खाता खोलने का रुपए के लेन–देन का अधिकार अध्यक्ष अथवा प्रन्यास द्वारा अधिकृत प्रन्यासी को होगा।

16. प्रन्यास मजकूरा को बी.आर. चौधरी चैरिटेबल प्रन्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के संचालन एवं सुव्यवस्था के लिए नियम बनाने काशिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने का, संस्था की विभिन्न प्रवृत्तियों में परिवर्तन या परिवर्द्धन-करने का अधिकार होगा, पर संस्थाके नाम में बी.आर. चौधरी चैरिटेबल (भागीरथ रेशमी देवी चैरिटेबल) प्रन्यास शब्द अनिवार्य रूप से सदैव रहेगा। संस्था की प्रकृति बदलने से भी प्रन्यासकर्ता मिकर के नाम को किसी

आज दिनांक 01/12/2004 को
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 16
में पृष्ठ संख्या 42 क्रम संख्या 2004000019 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 11
के पृष्ठ संख्या 417 से 428 पर
चस्पा किया गया।

(2004004181)
(Trust Deed)

उप पंजीयक, SADUL SHAR

भी दशा में हटाया नही जा सकेगा। प्रन्यास की सम्पति में लिखे हुए, लगे हुऐ या खुदे हुए प्रन्यासकर्ता के नाम संबंधी लेख नहीं मिटाये जा सकेंगे और उनको सुचारू और सुपाठ्य रूप से रखा जावेगा।

17. इस प्रन्यास का संचालन सात प्रन्यासियों द्वारा होगा जिनमें से राज्य सरकार यदि निर्देश दे तो उसका प्रतिनिधि होगा। इस समय निम्नलिखित सज्जन प्रन्यासी है :—

1. भागीरथ पुत्र श्री रामप्रताप
2. वकील चन्द पुत्र श्री भागीरथ
3. रतनलाल पुत्र श्री महावीर प्रशाद
4. विकास कुमार पुत्र श्री रतन लाल
5. श्रीमती मजु गुप्ता पत्नी श्री नवदीप गुप्ता
6. श्रीमती सन्तोष पत्नी शिव शंकर
7. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी रतनलाल

18. इस प्रन्यास का मैं मिकर प्रन्यासकर्ता अपने जीवनकाल में प्रधान रहूंगा और मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरा उत्तराधिकारी अथवा मुझ मिकर द्वारा नियुक्त विशेषाधिकारी अध्यक्ष होगा। मेरे पश्चात प्रन्यास के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष प्रत्येक अवधि का होगा। इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष की अवधि तीन वर्ष होगी। प्रति तीन वर्ष पश्चात् 31 मार्च से पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाना चाहिए। अपरिहार्य परिस्थितियोंवश निर्वाचन न होने की स्थिति में प्रन्यासी बोर्ड एक वर्ष के लिए अवधि बढ़ा सकता है। नये निर्वाचन होने तक वर्तमान अध्यक्ष कार्य करता रहेगा।

19. प्रन्यासी आजीवन होगें। पर यदि कोई भी प्रन्यासी विकृत मस्तिष्क हो जाये, अथवा शारीरिक दृष्टि से प्रन्यासी के कर्तव्य भार को वहन करने में असमर्थ हो जावे अथवा किसी भी भारी अपराध को करने अथवा प्रन्यासकर्ता मिकर सम्मति में संस्था के हित में कार्य न करता हो तो प्रन्यासकर्ता द्वारा उसे पद्चयुत किया जा सकेगा और उसकी मृत्यु के पश्चात् न्यासीगण के बहुमत से पद्चयुत किया जा सकेगा।

20. किसी भी प्रन्यासी की मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र देने अथवा किसी कारणवश अयोग्य होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने का अधिकार अपने जीवनकाल में प्रन्यासकर्ताओं को होगा और उसकी मृत्युपरान्त शेष प्रन्यासी बहुमत से कार्य करेगे, पर किसी भी समय चार प्रन्यासी का रहना अनिवार्य है। प्रन्यासी के रिक्त स्थान की पूर्ति होने तक शेष प्रन्यासी काम चलायेंगे पर रिक्त होने की तिथि से दो माह के अन्दर स्थान की पूर्ति कर ली जानी अनिवार्य है। प्रन्यास में नये सदस्य प्रन्यासकर्ता की सहमति एवं स्वीकृति से तथा उसके पश्चात शेष प्रन्यासीगण के बहुमत से बनाये जावेंगे।

21. शारीरिक क्षीणता अथवा विकृति किसी भी प्रन्यासी की अयोग्यता का आधार बन सकती है। पर प्रन्यासकर्ता इस नियम के अपवाद रहेगे। वह शारीरिक दृष्टि से अयोग्य होते हुए भी प्रन्यासी अथवा अध्यक्ष बने रहेगे। यद्रि उनका मस्तिष्क विकृत न हो।

22. पन्यासी बोर्ड अपनी बैठक में निर्णय करेगा कि प्रन्यास के पदाधिकारी कौन कौन हों, उनका निर्वाचन किस प्रणाली से एवं कब हो। ट्रस्ट के अध्यक्ष अपने समस्त या कुछ अधिकार सीमित अवधि के लिए अथवा सीमित उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को सौंप सकता है।

शामिल पर
उप पंजियक चादुलशहर

23. प्रन्यासकर्ता ही प्रन्यास का कोषाध्यक्ष माना जायेगा। उसकी मृत्युपरांत प्रन्यास द्वारा प्रन्यासियों में से ही कोषाध्यक्ष बहुमत से चुना जायेगा। इस निर्वाचन की भी पुष्टि प्रन्यास की साधारण सभा में होनी अनिवार्य है।

24. प्रन्यास के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्रन्यासकर्ता को ही होगा। और उसकी मृत्युपरांत प्रन्यासियों द्वारा निश्चित प्रन्यासी को यह अधिकार होगा।

25. प्रन्यास की मीटिंग का काम 3 (तीन) का होगा। प्रन्यास का अध्यक्ष सभा का संचालन करेगा। उसकी अनुपस्थिति में उस बैठक हेतू अध्यक्ष चुन लिया जायेगा। संतुलित मत का प्रश्न आने पर अध्यक्ष को अपने अतिरिक्त मत प्रयोग करने का अधिकार होगा।

26. प्रन्यासकर्ता के जीवनकाल में (जब तक वह अध्यक्ष रहेगा) प्रन्यास की कोई भी मीटिंग उसकी लिखित अनुमति के बिना नहीं हो सकेगी। प्रन्यासकर्ता की मृत्युपरांत प्रन्यास की मीटिंग तब तक वैधानिक नही मानी जायेगी। जब तक कि उसमें श्री भागीरथ चौधरी रेशमी देवी के वंशज प्रन्यासियों में से कम से कम एक उपस्थित न हो।

27. अनुपस्थित प्रन्यासीगण को प्रन्यास के अधिवेशन के कार्य विवरण की नकल भेजी जायेगी।

28. यदि कम से कम चार प्रन्यासीगण द्वारा मीटिंग बुलाने का प्रार्थना पत्र मंत्री को दिया जावे तो मंत्री अध्यक्ष के परामर्श से अधिवेशन की तिथि व स्थान निश्चित कर देगा। पर ऐसी सभा प्रार्थना पत्र पहुंचने के दो माह के भीतर बुलाई जानी अनिवार्य है। ऐसा न होने पर यह दो माह व्यतीत करने के पश्चात् उन चार प्रन्यासियों को ही मीटिंग बुलाने का स्वतः अधिकार मिल जायेगा।

29. समय समय पर समस्त प्रन्यासियों के 3/4 के हस्ताक्षर वाले लिखित प्रस्ताव प्रन्यास की मीटिंग में पास हुआ समझा जायेगा। पर ऐसे विषय जिनका विचार प्रन्यास की वार्षिक साधारण सभा में होना अनिवार्य है, इस प्रकार स्वीकृत नहीं किये जावेंगे।

30. प्रन्यास के हित में आवश्यक होने पर प्रन्यासकर्ता प्रन्यास के उद्देश्य प्रन्यास मीटिंग के विवरण रजिस्टर में शीघ्र–अतिशीघ्र अंकित किया जावेगा। विवरण रजिस्टर देखने का अधिकार प्रत्येक प्रन्यासी को होगा।

31. ट्रस्ट का साधारण दैनिक या मासिक कार्य करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

32. बी.आर. चौधरी चैरिटेबल (भागीरथ रेशमी देवी चैरिटेबल) प्रन्यास प्रत्येक संस्था/संस्थाओं के लिए पृथक प्रबंध समिति/प्रबंध समितियों नियुक्त करेगा। प्रत्येक प्रबंध समिति के लिए पृथक पृथक विधान बनायेगा। इस विधान के अन्तर्गत प्रन्यास वैध प्रक्रिया अपनाकर निर्वाचन करवायेगा। निर्वाचन होने तक तदर्थ समिति नियुक्त करेगा। संस्था/संस्थाओं के लिए साधारण व दानदाता सदस्य बनाये जायेंगे। जिन द्वारा भी निर्वाचन किया जायेगा। निर्वाचन न होने की स्थिति में प्रन्यास प्रबन्ध समितियां नियुक्त करेगा। प्रबंध समिति में विभाग के संचालन से संबंधित समस्त प्रशासनिक आर्थिक एवं अन्य अधिकार नीहित होंगे। विभाग के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रबंध समिति ही सब प्रकार का उत्तरदायित्व वहन करेगी। प्रन्यास की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नही होगी।

विभागों के दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रन्यासी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस संबंध में प्रन्यास के निम्नलिखित अधिकार होगे :–

भागीरथ

सन्तोष

शामिल पत्रे
उप पंजी... सादुलशहर

(क) प्रबंध समिति के विधान में परिवर्तन, परिवर्तन या किसी भी प्रकार का संशोधन करना है।

(ख) यदि प्रन्यास की सम्मति में प्रबन्ध समिति संस्था के हित में कार्य नहीं करती है तो उसे भंग करना और विधान के अनुसार नये निर्वाचन के लिए आदेश देना और अविश्वास प्रस्ताव या अन्य किसी कारण से अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर तब तक के लिए तदर्थ समिति की नियुक्ति करना।

(ग) जब तक कम से कम दस दान दाता विशिष्ठ सदस्य न बने या बने रहे तदर्थ प्रबंध समिति मनोनित करना।

(घ) प्रबंध समिति के किसी भी निर्णय पर पुर्नविचार करना और अंतिम आदेश देना।

(ङ) प्रबंध समिति की अवधि प्रन्यास द्वारा अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

(च) प्रत्येक विभाग मे कार्यरत एवं कभी भी नियुक्त किये गये कर्मचारी केवल उसी विभाग की प्रबंध समिति की सेवा में कर्मचारी माने जावेगे। एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने पर उनकी नवनियुक्ति ही मानी जावेगी। चूंकि संस्था की सभी प्रबन्ध समितियों द्वारा संचालित विभागों के हिसाब किताब पर प्रन्यास का अंतिम एवं निर्णायक नियंत्रण होगा। अतः समिति के अन्तर्गत कार्य करने वाले मिनिस्ट्रीयल स्टाफ को प्रन्यास द्वारा स्थानांतरित किया जा सकेगा। ऐसी सिथति में पिछले विभाग की सेवा नये विभाग से चाहने हेतु प्रन्यास विशेष आदेश प्रसारित करेगा। परंतु अन्य स्टाफ के लिए यह व्यवस्था लागू नही की जा सकेगी।

(छ) पूर्व वर्णित धारा 4 के अन्तर्गत प्रन्यास अपना एक केन्दीय कार्यालय खोल सकता है जिसका प्रधान वैतनिक अधिकारी संचालन मंत्री होगा। इस कार्यालय में प्रबन्ध समितियों का हिसाब किताब एवं समस्त, रिकार्ड रहेगा। संचालन मंत्री के पद पर प्रन्यास द्वारा नियुक्त हो जाने के बाद यह पदाधिकारी विशेष निमत्रिंत रूप में सभी प्रबंध समितियों में अनिवार्य रूप से बुलाया जायेगा। समिति की अधिवेशन में इस अधिकारी को बोलने का अधिकार होगा परंतु मत देने का नही। समिति के अधिवेशन में केन्द्रीय कार्यालय के गोपनीय रिकार्ड के अलावा दूसरे रिकार्ड के आधार पर यह अधिकारी जानकारी भी दे सकेगा।

(ज) प्रबंध समितियों को अपनी–अपनी संस्था का हिसाब किताब तथा इससे संबंधित कर्मचारियों के संबंध में सभी प्रकार के प्रशासनिक निर्देश देना।

(झ) प्रबन्ध समितियों को सभी प्रकार के आर्थिक, प्रशासनिक एवं अन्य मामलों से संबंधित सूचंनाए एवं प्रपत्र भेजने के निर्देश देना। प्रन्यास अपने कर्त्तव्यों का पालन करने हेतु प्रबंध समितियों के किसी भी उच्च पदाधिकारी को या किसी भी सेवारत कर्मचारी को अंशकालीन सेवा पर नियुक्त कर सकता है और आनोरेरियम की राशि प्रदान कर सकता है।

33. प्रन्यासी को कोई वेतन नही मिलेगा। प्रन्यासकर्त्ता अथवा प्रन्यास यदि स्वीकृत करें तो उचित यात्रा व्यय प्रन्यासी को दिया जा सकता है।

34. प्रन्यासकर्ता या प्रन्यास द्वारा देश के गणमान्य विद्वानों, राजनीतिज्ञों, शिक्षा विशेषज्ञों और शिक्षा अधिकारियों को प्रन्यास केहित के लिए बुलाया जा सकेगा। उनकी यात्रा व्यय भी प्रन्यास यदि उचित समझे तो प्रन्यास फंड से दिया जा सकता है।

(क) प्रन्यास के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि किसी भी विभाग के छात्रों में से किन्ही को प्रन्यास फंड में आर्थिक सहायता प्रदान करें। यह विशेष अधिकार प्रन्यास द्वारा भी प्रयुक्त किया जा सकता है।

(ख) प्रन्यास द्वारा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों मे से कुछ को संस्था परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के रूप में निश्चित अवधि के लिए कार्य करने के लिए मनोनीत किया जा सकता है। ऐसी परामर्शदात्री समिति प्रन्यास द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई में एक वर्ष के लिए गठित की जायेगी। प्रन्यास अपनी बैठक में सस्था के सहायक सदस्य बनाने का भी प्रावधान कर सकता है। ऐसे सदस्य के लिए वार्षिक सहायता राशि की न्युनतम सीमा निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप सदस्यता की अवधि योग्यता निश्चित एवं सदस्य कौन बने, इसका मापदंड भी प्रन्यासीगण अपनी बैठक में निर्धारित कर सकते है। चूंकि प्रन्यास के उद्‌देश्य सार्वजनिक हित में है। इस प्रकार के सदस्य बनाने के लिए प्रन्यास प्रचार भी कर सकता है। और विद्वान शिक्षा शास्त्री, समाजसेवी, विज्ञानिकों आदि को बिना किसी प्रकार का शुल्क लिए भी सहायक सदस्य मनोनीत कर सकता है। अधिक संख्या में सहायक सदस्य होने पर उनके प्रतिनिधि के रूप में उन्हें प्रन्यासी भी बनाया जा सकता है, पर प्रन्यासियों की समस्त संख्या किन्ही भी परिस्थितियों में 15 से अधिक नही हो सकेगी। सहायक सदस्यों की, जिन्हें प्रन्यास सदस्यता प्रदान करे, वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य बुलायी जायेगी।

35. यदि किसी अनिवार्य कारणवश बी.आर. चौधरी चैरिटेबल (भागीरथ रेशमी देवी चैरिटेबल) प्रन्यास द्वारा संचालित संस्था श्रीगंगानगर जिला या अन्य स्थान में चल सकेगी या बंद हो जाये तो प्रन्यासीज के यह आवश्यक होगा कि वह प्रन्यास फंड एवं उसकी आय को प्रन्यासकर्ता के नाम को अक्षुण रखने के लिए इस दस्तावेज में लिखित उद्‌देश्यों के अन्तर्गत शिक्षा प्रसार के पवित्र कार्य मेंही लगाये और ऐसी कोई दूसरी संस्था बी.आर. चौधरी चैरिटेबल (भागीरथ रेशमी देवी चैरिटेबल) प्रन्यास के नाम से ही कायम कर दें।

36. यदि किसी समय सरकार किसी कानून के अन्तर्गत प्रन्यास सम्पति को या इसके किसी भाग को लेले तो प्रन्यास के लिए आवश्यक होगा कि किसी दूसरे उपयुक्त स्थान पर सरकार से मिले हुए मुआवजे या अन्य साधनों से दूसरी इमारत बना दें।

37. यदि किसी आकस्मिक या दैवीय घटना से प्रन्यास सम्पति या उसका कोई भाग गिर जाये तो प्रन्यास ऐसी अवस्था में पृथक अथवा सम्भवतः अपने साधनों से धनराशि प्राप्त कर भवन बनाने का प्रयास करेगा।

38. यदि दुर्भाग्यवश इस प्रन्यास के सभी प्रन्यासी एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाये या इस दस्तावेज में लिखित प्रबन्धों के अनुसार प्रन्यासी बनने के अयोग्य हो जाये तो उस समय की सरकार इस दस्तावेज में लिखित वंश और जाति संबंधी प्रतिबन्धों का उल्लघंन न करते हुए नये प्रन्यासी कायम कर देगी।

39. मन अथवा मिकर प्रन्यासकर्ता ने अपनी जानकारी में इस प्रन्यास की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ बाते कर्मानुसार लिखी है। इस पर भी यदि कोई बात रह गई हो और बाद में मेरे ध्यान में आये तो मुझे यह अधिकार होगा कि इस प्रन्यास की लिखत या शर्तो में कोई संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन कर सकूं और इस पर भी प्रन्यास के संचालन में बाधा पड़ जाये तो प्रन्यास कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाये, परंतु मुझ मिकर की मृत्यु उपरांत इस दस्तावेज में लिखित नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन प्रन्यासियों के बहुमत से ही हो सकेगा।

सन्तोष भागीरथ

[redacted]

40. मैं अर्थात प्रन्यासकर्ता के द्वारा मनोनीत प्रन्यासीयों से उनके पद भार स्वीकार करने की सहमति प्राप्त कर ली है और प्रन्यासियों ने भी स्वीकृति स्वरूप अपने अपने हस्ताक्षर इस दस्तावेज पर कर दिये है।

41. इस दस्तावेज में प्रयुक्त शब्द संस्था, प्रन्यासकर्ता, प्रन्यास और समिति से तात्पर्य क्रमशः बी.आर. चौधरी चैरिटेबल (भागीरथ रेशमी देवी चैरिटेबल) प्रन्यास एवं अन्य गतिविधियां (जो प्रन्यास द्वारा संचालित हो), बी.आर. चौधरी चैरिटेबल (भागीरथ रेशमी देवी चैरिटेबल) व बी.आर. चौधरी चैरिटेबल प्रन्यास के अन्तर्गत चलने वाली प्रबन्ध समिति से हैं।

हस्ताक्षर

प्रन्यासकर्ता

भागीरथ

भागीरथ पुत्र श्री रामप्रताप जाति अग्रवाल आयु 67 वर्ष निवासी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

साक्षीगण–

(1) शिव शंकर पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति अग्रवाल साकिन सादुलशहर उम्र 41 वर्ष

(2) राधा कृष्ण पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति जाट साकिन बहरामपुरा बोदला उम्र 32 वर्ष

[redacted]
गुरुमुख
[redacted]